राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

एफ9(5)(13)नि.पें./सा.न्या.अ.वि./12–13/ 10401 जयपुर दिनांक 18.07.2012

आदेश

विषयः– राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965, में संशोधन।

राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये हैं कि "राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965" में निम्नांकित संशोधन किया जावेः–

उक्त नियमों के नियम 3(1) एवं 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

3(1) किसी भी आयु के निःशक्त व्यक्ति जो राजस्थान के निवासी है तथा स्थाई रूप से राजस्थान में निवास करते हैं, तथा जो अपाहिज, अपंग एवं अन्धे हैं और जिसके फलस्वरूप वे अपनी आजीविका के कमाने के लिए अयोग्य अथवा असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह के लिए स्वयं की एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 14000/– से कम एवं शहरी क्षेत्र में रू. 16000/– से कम है इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन पाने के अधिकारी होंगे।

उक्त प्रयोजन हेतु परिवार की परिभाषा में 25 वर्ष अथवा अधिक आयु के निम्न सदस्य सम्मिलित होंगेः–

(i) पुत्र,

(ii) पति, पत्नि,

(iii) पिता, माता।

नोटः– ग्रामीण क्षेत्र के निःशक्तजनों के लिये आय प्रमाण पत्र ग्रामसभा की अभिशंषा पर संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा एवं शहरी क्षेत्र के निःशक्तजनों के लिए संबंधित स्थानीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

परन्तु यदि कोई निःशक्त "राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965" के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करता है एवं उसकी व उसके परिवार के सदस्यों की सम्मिलित वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 14000/– एवं शहरी क्षेत्र में रू. 16000/– से अधिक है किन्तु उसके परिवार का कोई भी कमाऊ सदस्य उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो निःशक्त व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित स्वायत्तशाषी संस्था के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वंय के स्तर पर तथ्यों की पुष्टि करने के उपरान्त तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा एवं ऐसा आवेदक उक्त नियमों के अन्तर्गत निःशक्त पेंशन के लिए पात्र होगा।

परन्तु यह और कि संबंधित तहसीलदार अथवा संबंधित स्वायत्तशाषी संस्था के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आवेदक के उपर्युक्त

प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त निरस्त करने पर आवेदक संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा। संबंधित उपखण्ड अधिकारी अपील पर विचार कर एवं तथ्यों की पुष्टि उपरान्त मात्र प्रकरण में उक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा एवं ऐसा आवेदक नियमों के अन्तर्गत निःशक्त पेंशन के लिए पात्र होगा।

उक्त नियमों के नियम 4(i) में (ब) के नीचे (स) निम्नानुसार जोड़ा जाता है।

(स) 8 वर्ष से कम आयु का पेंशनर रू 250 प्रतिमाह

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार/भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार या प्राइवेट संस्थाओं व अन्य संस्थाओं से रू. 750/500/250 (यथा स्थिति) मासिक से कम पेंशन अथवा निर्वाह भत्ता पाते हैं तो उन्हें रू. 750/500/250 (यथा स्थिति) में उनको जो पेंशन भत्ता मिलता है, उसका केवल अन्तर मिलेगा।

यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

यह आदेश वित्त (निम्न/व्यय–2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161-00970 दिनांक 13.07.2012 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

एफ9(5)(13)नि.पें./सा.न्या.अ.वि./12–13/ 10402 – 480 जयपुर दिनांक 16.07.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मन्त्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सा.न्या.अधि.विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, सा.न्या.अधि.विभाग राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर (समस्त).....।
9. उपशासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग राजस्थान जयपुर।
10. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।
12. कोषाधिकारी (समस्त).....।
13. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप–7) राजस्थान जयपुर।
14. सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर प्रशाखा) मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।

वित्तीय सलाहकार